

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 32/2019

RCMS No-2019/00110

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		गोविन्द पुत्र जगदीश राजपूत, मैसर्स ओम दुध डेयरी भण्डार, नाडी मौहल्ला, पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-

1. श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

—: निर्णय :-

दिनांक :- 23/12/2019

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आंशिक स्वीकार करते हुए अपना लिखित जवाब पेश किया किया। दौराने बहस अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। इस कारण बहस एकपक्षीय सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 24.10.2018 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पेय मिक्स दुध के नमूने को वास्ते जांच क्रय किया, उक्त क्रयसुदा दो लीटर दूध को चार भागों में विभक्त कर चार शिशियों में भरकर उसमें 40-40 बुंद फार्मेलिन की बतौर प्रीजरवेटीव डालकर उस पर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-819 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना मिक्स दूध को sub-standard/does not conform का होना जाहिर किया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा sub-standard/does not conform खाद्य पेय मिक्स दूध का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने जो लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया, उसमें यह अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की फर्म से जो मिक्स दूध का सेम्पल लिया गया है, उक्त दूध अप्रार्थी द्वारा दूर-दराज से आने वाले दूध बेचने वालों से खरीदा जाता है, जिसमें अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है। प्रार्थी द्वारा लिया गया सेम्पल खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा sub-standard/does not conform स्तर का पाया गया। जिसे मैं स्वीकार करता हूँ, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप कराने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.10.2018 को अप्रार्थी की फर्म से खाद्य पेय मिक्स दुध को क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

आर-819 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./748/एक्ट/2018/768 दिनांक 31.10.2018 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-819 को Sub-standard/does not conform का माना है, जिसे अप्रार्थी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard/does not conform खाद्य पेय मिक्स दुध का विनिर्माण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 75,000/- अक्षरे पच्चतर हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 23/12/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली